



प्रिपुत्र

185

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंहत गवालियर १० अ. ७. १०

फिल्म - 1876-III-14

मेरा आज नि. १८ संख्या को
प्रसार

कला का अध्ययन ६-१५
राजस्थान एवं H.P. ग्रामिय

Heller

ਸਨੈਲਿਯਪਡ ਏਡਵੋਨਚਰ ਲਿਮਿਟੇਡ ਵਾਲ ਅੰਦਰਾਂ ਤਵਾਲ
ਅੰਦਰਾਂ ਜਿਲਾ ਟੀਕਮਗਡ ਮ.ਪੁ. ਹਾਰਾਇਆਸਕ ਏਂ ਲਿਖਦਾ
-ਪ ਕ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੰਨ ਬ੍ਰਾਨੀ ਏ.ਬੀ. ਸਿੰਘ ਨਿਵਾਸੀ ਵਾਲ
ਅੰਦਰਾਂ ਤਵਾਲ ਅੰਦਰਾਂ ਜਿਲਾ ਟੀਕਮਗਡ ਮ.ਪੁ.

— रिहीजन करता है

四

ਵਿਸ਼ਵਬੀਤ ਸਿੰਹ ਤਨਥ ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਨੇਨਦ੍ਰ ਸਿੰਹ ਜੂ ਦੇਵ ਜਿਵ ਸੀ
 ਕਰਨਕੁੱਜ ਬਾਗਿਧਾ ਮਹਾਰਾਜਪੁਰਾ ਤਵਸੀਲ ਚ ਜਿਲਾ ਟੀਕੋਂਮਗਡ
 ੧੦ ਸ.ਪ੍ਰ. ੧੦

-- रिस्पोडेन्ट

रिवीजन प्रतिकूल आदेश आपुवत महोदय सागर बंभाग सागर म.प. के आदेश दिनांक 4/6/2014 के प्रतिकूल जिनके द्वारा अनुबिभागीय अधिकारी निवाड़ी जिला टीकमगढ़ के अमील पुकरण क्रमांक 86/ अमील/2013-14 आदेश दिनांक 30/05/2014 को क्रियान्वयन पर स्थगन दिया गया एवं वह भी निवाड़ी दिया गया कि मर्मांके पर रिवीजनकूर्ता छिवाद उत्पन्न करने का प्रयत्न न करे - *

• शिवीजन अवृत्तार्थ धारा 50 मध्य गुद्दे भ राजस्व संहिता 1959

प्र० द्वय

यह कि विद्यान् अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में कानूनी खामी प्राथमिक स्थ से हुड़िटणोंचर होती है जिस पर माननीय न्यायालय वारा विचार किया जाता आवश्यक है।

पुकारण का सम्मिलित सार इस प्रकार है कि विवीजनकर्ता को मध्य प्रदेश ग्रामीण के आमंत्रण पर और उस पर पर्यटन का बढ़ावा देने के उद्देश्य से पर्यटन कार्य में जिस कारण वर्ष 2008-09 में केमा आयोजित करता चला आ रहा है एवं 20 मिट्ट बैड़ा रास्ता मध्य प्रदेश ग्रामीण वारा अनुमोदन प्राप्त होने के बाद कोकटर महोदय टीकमगढ़ के पश्च क्रमांक- 1674/18/भ-अधि/रा. नि.

का. /2010 दिनांक 23/09/2010 द्वारा 20 मिट चौड़ा रास्ता सीमांकन कर दिये

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक. R. 1876/II/16 जिला ईकाम्पाट